

आवेदन आईडी नं.:

वैधता अवधि: स्वीकृति पत्र की तिथि से वैधता (होम लोन के लिए 90 दिन और गैर-होम लोन के लिए 60 दिन)

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी) और मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)

ऋण का प्रकार (गृह ऋण ☐ संपत्ति पर ऋण ☐ वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद ☐
अन्य ☐ (कृपया उल्लेख करें)

ये सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें और मुख्य तथ्य विवरण, जो निम्नानुसार हैं, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("एसएमएफजी गृहशक्ति") जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉमरज़ोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंज़िल, नं. 111, माउंट पूनामल्ली रोड, पोर्तूर, चेन्नई-600116, तमिलनाडु में है द्वारा ("कर्जदार/रैं") को ऋण की मंजूरी का एक अभिन्न अंग होंगे:

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)							
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) = एसए						
2	संवितरण अनुसूची चरणों में या 100% अग्रिम भुगतान।			कृपया जो लागू हो, उसे टिक करें पूर्ण ☐ आंशिक / चरणवार ☐			
	(i) यदि पूर्ण संवितरण हो मूलधन/स्वीकृति और ब्याज के बीच विभाजन (आपके ऋण खाते पर चेक सौंपे जाने के दिन से ब्याज संचित होता है, इसलिए संबंधित तालिका में उल्लिखित मूल्य सांकेतिक हैं, वास्तविक मूल्यों सहित चुकोती अनुसूची चेक सौंपे जाने की तिथि के बाद साझा की जाएगी) *स्वीकृति की तारीख को प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि			स्वीकृत राशि = _____ रुपये कुल ब्याज राशि = _____ रुपये			
	कर्जदार द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (स्वीकृत + कुल ब्याज)			_____ रुपये			
	(ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें केवल तभी लागू जब संवितरण कई किश्तों में किया गया हो (चुकोती अनुसूची चेक सौंपने की तारीख के बाद साझा की जाएगी)			संवितरण किश्तों में निर्धारित/अनुरोध किए जाने पर, चेक सौंपने के बाद ईएमआई शुरू होगी। तब तक कर्जदार हर महीने संवितरित राशि पर लागू ब्याज (प्री ईएमआई) का मासिक भुगतान करेगा और प्री ईएमआई का ऐसा प्रत्येक मासिक भुगतान ऋण सारांश अनुसूची में निर्दिष्ट ब्याज दर पर होगा।			
3	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)			महीनों में =			
4	किश्तों का विवरण						
		किश्तों का प्रकार	ईएमआई की संख्या	ईएमआई (रु.)	स्वीकृति के बाद चुकोती की शुरुआत		
		मासिक			हर महीने की 7 तारीख		
5	ब्याज का प्रकार (कृपया उचित निशान लगाएं)		फिक्स्ड ☐	सेमी फिक्स्ड ☐	फ्लोटिंग ☐		
		ब्याज दर (%)					
6	फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी*						
संदर्भ बैंचमार्क	बैंचमार्क दर (%) (बी)	प्रसार (%) (एस)	अंतिम दर (%) आर = (बी) - (एस)	रीसेट आवधिकता (महीने)		संदर्भ बैंचमार्क में बदलाव का प्रभाव (‘आर’ में 25 बीपीएस बदलाव पर, में बदलावः)	
				बी	एस	ईएमआई (रु.)	ईएमआई की संख्या
आरपीएलआर				तिमाही		जहां कर्जदार अवधि को स्थिर रखते हुए ईएमआई राशि बदलने का विकल्प चुनता है	जहां कर्जदार ईएमआई राशि को स्थिर रखते हुए अवधि बदलने का विकल्प चुनता है
7	शुल्क/प्रभार (सभी करें सहित)						

आरई (ए) को देय		एकमुश्त/आवर्ती	राशि (रु.) या प्रतिशत (%) जो भी लागू हो		
			अग्रिम एकत्रित = यू	संवितरण से वित्तपोषित/कटौती = एफ	कुल शुल्क = (टी)
(i)	आवेदन शुल्क/आईएमडी शुल्क	एकमुश्त			
(ii)	प्रसंस्करण शुल्क/प्रभार	एकमुश्त			
(iii)	प्रलेखन शुल्क (केवल संवितरण मामलों के लिए)	एकमुश्त			
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)				
आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय					
(i)	सीईआरएसएआई शुल्क 1. रु. 5 लाख तक के ऋण - रु. 60/- (प्रतिभूति हित निर्मित करने के लिए रु. 50/- और CERSAI सर्च के लिए रु. 10/-) + लागू कर 2. रु. 5 लाख से अधिक के ऋण के लिए - रु. 110/- (प्रतिभूति हित निर्मित करने के लिए रु. 100/- और CERSAI सर्च के लिए रु. 10/-) + लागू कर	एकमुश्त			
(ii)	बीमा प्रभार	एकमुश्त			
(iii)	वेलनेस प्रोडक्ट	एकमुश्त			
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)				
	कुल				
	निवल संवितरित राशि	वितरित राशि "स्वीकृत लोन राशि (एसए)" - "संवितरण से वित्तपोषित/कटौती की राशि (एफ)" = _____ रु.			
8	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%) एपीआर % की गणना के लिए गृहशक्ति वेबसाइट लिंक देखें: https://www.grihashakti.com/apr-calculator.aspx				
9	आकस्मिक प्रभार का विवरण (रु. या % में, जैसा लागू हो)				
(i)	प्रोसेसिंग शुल्क/प्रभार		ऋण राशि का 3% तक		
(ii)	आवेदन शुल्क/आईएमडी शुल्क		रु. 10000/- तक		
(iii)	प्रलेखन शुल्क (केवल संवितरित मामलों के लिए)		रु. 5000/- तक		
(iv)	ब्याज दर रूपांतरण शुल्क/ऋण ब्याज प्रकार में बदलाव के लिए स्विच शुल्क प्रभार		बकाया मूल राशि के 1.00% से अधिक नहीं		
(v)	चेक/ईसीएस/एनएसीएच वापसी शुल्क**		रु. 500/- प्रति बार		
(vi)	किसी भी चुकौती में किसी भी संशोधन के लिए स्वैप शुल्क		प्रति स्वैप रु. 600/-		
(vii)	देर से भुगतान शुल्क (भुगतान चूक के लिए लागू)		दैनिक आधार पर गणना की गई, प्रासंगिक देय तारीख से वास्तविक भुगतान/चूक के सुधार की तारीख तक देय, अतिदेय ईएमआई का 2% प्रति माह है।		
(viii)	होम लोन (एचएल) से गैर-आवास ऋण (एनएचएल) में परिवर्तन (होम लोन के लिए लागू) - ऋण के संवितरण के 36 महीनों के भीतर निर्माण पूरा न करने पर		एनएचएल के लिए ब्याज दर एसएमएफजी गृहशक्ति की पॉलिसी और एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा कर्जदार(रों) को सूचित किए गए के अनुसार लागू होगी। एसएमएफजी गृहशक्ति गैर-होम लोन ब्याज दरों की सीमा के लिए: https://www.grihashakti.com/interest-rates-ROI-range.aspx देखें		
(ix)	दंड प्रभार इस ऋण समझौते के निष्पादन पर एसएमएफजी गृहशक्ति के पास प्रतिभूत परिसंपत्तियों से संबंधित हकदारी दस्तावेजों को जमा करने/पुनः जमा करने में कर्जदार द्वारा 60 दिनों (साठ दिन) की देरी के लिए या जैसा एसएमएफजी		बकाया ऋण राशि पर एक प्रतिशत (1%) प्रति वर्ष, दिन-प्रतिदिन के आधार पर गणना की जाएगी, जो एसएमएफजी गृहशक्ति की संतुष्टि के लिए चूक/विलंब की तिथि से ऐसे चूक के सुधार की तिथि तक देय होगी।		

	गृहशक्ति द्वारा कर्जदार को लिखित रूप में सूचित किया जा सके				
(x)	एनओसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट, आरपीएस, ब्याज प्रमाणपत्र, दस्तावेजों की सूची (एलओडी), खाते का डुप्लिकेट विवरण****, लोन समझौते की प्रति आदि				रु. 500/-
(xi)	संपत्ति के मूल स्वामित्व विलेख की छायाप्रति के लिए शुल्क				रु. 1000/-
(xii)	मूल दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क				रु. 1000/-
(xiii)	पूर्वसमापन पत्र शुल्क				रु. 500/-
(xiv)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)				रु. _____/-
(xv)	पूर्व भुगतान शुल्क (आंशिक या पूर्ण)***				
	ब्याज दर का प्रकार	कर्जदार	लोन का उद्देश्य	विवरण	शुल्क
(xv A)	फिक्स्ड	व्यक्तिगत	कोई भी	स्वयं के स्रोत/निधि का उपयोग करके पूर्व भुगतान	आंशिक/पूर्ण पूर्वभुगतान के लिए कोई पूर्वभुगतान शुल्क देय नहीं होगा
		व्यक्तिगत		किसी बैंक/आवास वित्त कंपनी/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी/किसी वित्तीय संस्थान/किसी अन्य स्रोत से कर्ज लेना	0-60 एमओबी: प्रीपेड राशि का 7% >60 एमओबी प्रीपेड राशि का :5%
		एमएसएमई/एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म/गैर-व्यक्तिगत		स्वयं के स्रोत/निधि का उपयोग करके पूर्व भुगतान या किसी बैंक/आवास वित्त कंपनी/ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी/ किसी वित्तीय संस्थान/ किसी अन्य स्रोत से कर्ज लेना	0-60 एमओबी: प्रीपेड राशि का 7% >60 एमओबी: प्रीपेड राशि का 5%
(xv B)	फ्लोटिंग	व्यक्तिगत कर्जदार (प्राथमिक और सह-कर्जदार) / सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)	बिज़नेस	लागू नहीं	प्रीपेड राशि का 5% नीचे दिए गए निर्देश 1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद स्वीकृत या नवीनीकृत सभी ऋणों पर लागू होंगे। क) ₹50 लाख तक की स्वीकृत राशि/सीमा वाले ऋणों पर आंशिक/पूर्ण पूर्वभुगतान के लिए कोई पूर्वभुगतान प्रभार देय नहीं होगा। ख) ₹50 लाख से अधिक की स्वीकृत राशि/सीमा वाले ऋणों पर पूर्वभुगतान राशि का 5%।
		1. व्यक्तिगत कर्जदार (प्राथमिक और सह-कर्जदार) 2. व्यक्तिगत कर्जदार (गैर-व्यक्तिगत सह-कर्जदार के साथ या बिना)	बिज़नेस के अलावा अन्य; घर खरीदना, घर का स्व-निर्माण, प्लॉट घर का + निर्माण, घर का विस्तार, जीर्णोद्धार या नवीनीकरण	घर व्यक्तिगत नाम पर होना चाहिए और अंतिम उपयोग घर खरीदने, घर का स्व-निर्माण, प्लॉट + घर का निर्माण, विस्तार, जीर्णोद्धार या घर के नवीनीकरण के लिए होना चाहिए।	आंशिक/पूर्ण पूर्व भुगतान के लिए कोई पूर्वभुगतान शुल्क देय नहीं होगा
(xvi)	कर और लेवी		लोन एग्रीमेंट में ऊपर या अन्यत्र दर्शाए गए सभी प्रभार उस पर समय समय पर लागू सभी करें और विधिक लेवियों को छोड़कर होंगे और साथ ही जो वस्तु एवं सेवा कर की मर्यादा के बिना होगा।		

ग्राहक के आवेदन की प्रोसेसिंग से संबंधित कोई भी प्रभार जैसे आवेदन शुल्क/आईएमडी शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/प्रभार आदि अ-प्रतिदेय हैं।

पूर्वसमापन अनुरोध शाखाओं में उपलब्ध एसएमएफजी गृहशक्ति पूर्वसमापन अनुरोध फॉर्म में किया जा सकता है। पूर्व समापन अनुरोध एसएमएफजी गृहशक्ति ग्राहक सेवा डेस्क को ईमेल द्वारा या भौतिक प्रति ग्राहक सेवा डेस्क को पंजीकृत डाक द्वारा या शाखा में ग्राहक सेवा अधिकारी को पत्र सौंपकर भेजा जा सकता है। इस दस्तावेज में उल्लिखित पूर्व समापन पत्र जारी करने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया की समयसीमा पूर्व समापन पत्र शुल्क प्राप्त होने पर 21 कार्य दिवस हैं। कृपया ध्यान दें कि पूर्व समापन चेक एसएमएफजी गृहशक्ति शाखाओं में ही जमा किया जाना है। कृपया ध्यान दें कि पूर्व समापन चेक सिर्फ एसएमएफजी गृहशक्ति शाखाओं में जमा किया जाना है। कैलेंडर माह की 02 तारीख को या उसके बाद प्राप्त कोई भी भुगतान उसी महीने में बाद की तारीख में प्रोसेस संसाधित किया जाएगा क्योंकि चालू माह के लिए ईएमआई प्रस्तुत की जाएगी और उक्त अवधि के लिए गणना की गई अतिरिक्त ब्याज राशि वापस की जाएगी।

यदि पूर्वसमापन का भुगतान एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान माध्यम की मदद से किया जाता है, तो ग्राहक को भुगतान लेनदेन की तारीख से 3 दिनों के भीतर ग्राहक सेवा/शाखा को सूचित करना होगा और अनुरोध को आगे प्रोसेस करने के लिए किए गए भुगतान के बारे में सूचित करना होगा।

ऊपर वर्णित प्रभार, ब्याज दर, शुल्क, माल एवं सेवा कर आदि ऋण समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों की तारीख के अनुसार हैं और ऊपर बताए गए शुल्क समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। नवीनतम लागू नियम एवं शर्तों, शुल्कों और प्रभारों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.grihashakti.com देखें।

- * ब्याज दर में बदलाव की सूचना देने के तरीके: एसएमएफजी गृहशक्ति कर्जदार/रों को ऐसे परिवर्तनों की सूचना लिखित रूप में तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.grihashakti.com के माध्यम से देगा तथा शाखा में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके भी सूचित करेगा। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट तथा शाखा में प्रदर्शित सूचना पट्ट में ऐसी अद्यतन जानकारी होगी। कर्जदार यह मानता है और सहमत होता है कि एसएमएफजी गृहशक्ति रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट (PLR) सहित बताए गए ब्याज दर में कोई भी बदलाव, एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा नोटिफाई किए जाने पर, ऋण पर लागू होगा। कर्जदार यह वचन देते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि कर्जदार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट तथा/अथवा शाखा में जाकर समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क/लागत/ब्याज दर से स्वयं को अद्यतन रखेगा/रखेंगे। कर्जदार/रों द्वारा स्पष्ट रूप से यह समझा जाता है कि ऐसी अद्यतन जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट तथा/अथवा शाखाओं में सूचना पट्ट पर रखना कंपनी की ओर से पर्याप्त अनुपालन होगा। अगर कर्जदार (सभी कर्जदार, अगर एक से ज़्यादा हैं) एक व्यक्ति हैं, तो मौजूदा विनियामक दिशानिर्देश के अनुसार, ब्याज दर का प्रकार फ्लोटिंग ब्याज दर है; तो ब्याज दर में किसी भी बदलाव के मामले में, कर्जदार के पास ये विकल्प होंगे: (i) एसएमएफजी गृहशक्ति की क्रेडिट पॉलिसी के तहत, या तो ऋण की अवधि बदलकर और ईएमआई राशि को एक जैसा रखकर ब्याज दर में बदलाव लागू करना, या ईएमआई राशि बदलकर और अवधि को एक जैसा रखना, या दोनों; या (ii) अगर एसएमएफजी गृहशक्ति ऋण के संबंध में फिक्स्ड ब्याज दर और फ्लोटिंग ब्याज दर दोनों ऑफर करता है, तो सुविधा के ब्याज दर को फ्लोटिंग ब्याज दर से उस समय के फिक्स्ड ऑफ ब्याज दर में बदलना, जो केएफएस के तहत बताए गए स्विच चार्ज के भुगतान के अधीन है। कर्जदार यह स्वीकार करता है कि ब्याज दर में बदलाव होने पर, कर्जदार को एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा बताए जाने के 60 दिनों के अंदर ऊपर दिए गए क्लॉज़ (i) या (ii) के अनुसार एसएमएफजी गृहशक्ति को स्पष्ट लिखित निर्देश देने होंगे, ऋण के तहत ईएमआई एक जैसी रहेगी और ऋण की अवधि में बदलाव होगा, यदि एसएमएफजी गृहशक्ति की आंतरिक पॉलिसी के अनुसार ऐसा ज़रूरी न हो और कर्जदार को बदलाव की जानकारी में इसकी जानकारी न दी जाए। कर्जदार ऋण की अवधि के दौरान एक बार एसएमएफजी गृहशक्ति से ऊपर दिए गए क्लॉज़ (ii) के तहत स्विच चार्ज के भुगतान के अधीन ब्याज दर को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर में और इसके उलट, यानी एक बार फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर में और एक बार फिक्स्ड ब्याज दर से वापस फ्लोटिंग ब्याज दर में, बदलने के लिए अनुरोध कर सकता है।
- (ii) अधिस्थगन या सब्सिडी
- ** (नोट: ऊपर उल्लिखित चेक/ईसीएस/एनएसीएच वापसी प्रभार प्रतिपूरक नहीं हैं और/या वापसी के कृत्य के प्रति किसी भी प्रकार के प्रतिफल नहीं समझे जाने चाहिए और किसी भी तरह से उन्हें इस सुविधा के तहत वसूला गया शुल्क नहीं समझा जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि एसएमएफजी गृहशक्ति इस सुविधा के तहत भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए जारी किए गए साधनों की वापसी और/या अमान्य, नकली या अयोग्य साधन जमा करने को बर्दाश्त नहीं करती हैं और इसके लिए वसूल किए गए किसी प्रभार का उद्देश्य वापसी के ऐसे कृत्यों को कम करना नहीं है। यहां संग्रह किए गए किसी प्रभार के बावजूद एसएमएफजी गृहशक्ति के पास उपयुक्त सिविल और आपराधिक कानूनों को लागू करने का अधिकार सुरक्षित है।)
- *** नोट: व्यक्तिगत कर्जदारों को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किसी भी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर, सह-दायित्वकर्ता(ओं) के साथ या उसके बिना, कोई पूर्वसमापन प्रभार/पूर्व भुगतान प्रभार लागू नहीं होगा। सभी सेमी-फिक्स्ड दर (फिक्स्ड और फ्लोटिंग का संयोजन) ऋण, फिक्स्ड/फ्लोटिंग दर पर इस आधार पर पूर्व-समापन मानदंड लागू होंगे, कि पूर्व-समापन के समय ऋण स्थिर या अस्थिर दर पर है या नहीं। अर्ध-स्थिर दर ऋणों के मामले में, फ्लोटिंग दर के लिए पूर्व-समापन मानदंड तब लागू होगा जब ऋण को निश्चित ब्याज दर अवधि की समाप्ति के बाद फ्लोटिंग दर ऋण में परिवर्तित कर दिया गया हो। यह ऐसे सभी सेमी-फिक्स्ड दर ऋणों पर लागू होगा जिन्हें इसके बाद पूर्वसमापन किया गया हो।
- **** कर्जदार को प्रति तिमाही एक बार एसओए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

10	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	ऋण समझौते के अनुच्छेद 17 (सेवा प्रदाता) का संदर्भ लें: कर्जदार(रों) द्वारा यह सहमति दी जाती है कि एसएमएफजी गृहशक्ति के किसी भी अधिकार से पूर्वाग्रह के बिना, ऋण और उसके उपयोग और/या कर्जदार(रों) के दायित्वों और/या कर्जदार(रों) द्वारा इसके नियमों के अनुपालन की निगरानी करने और/या एसएमएफजी गृहशक्ति को देय राशि या उसके किसी भाग की वसूली करने के लिए एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कार्य/उपाय ऐसे अन्य व्यक्ति (कंपनी या निगमित निकाय सहित) द्वारा और/या उसके माध्यम से किए जा सकते हैं, जिन्हें समय-समय पर एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जाए और एसएमएफजी गृहशक्ति हर समय ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसे एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा नियुक्त किया जाए, के साथ कर्जदार(रों) और/या ऋण से संबंधित सभी दस्तावेज, खातों के विवरण और अन्य जानकारी साझा करने का हकदार होगा। इसके अलावा, कर्जदार स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि एसएमएफजी गृहशक्ति को, स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियां संचालित करने के अपने अधिकारों से पूर्वाग्रह के बिना, एसएमएफजी गृहशक्ति की पसंद के एक या अधिक तृतीय पक्षों/वसूली एजेंट को नियुक्त करने और ऐसे तृतीय पक्षों/वसूली एजेंट को एसएमएफजी गृहशक्ति की ओर से भुगतान न की गई सभी राशियों को एकत्रित करने और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को संपादित करने और निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार और प्राधिकार है, जिसमें कर्जदार के कार्यालय या निवास में प्रवेश करना, देय राशि प्राप्त करना और आम तौर पर उन सभी वैध कार्यों को निष्पादित करना शामिल है, जिन्हें तृतीय पक्ष/वसूली एजेंट ऐसे प्रयोजनों के लिए उचित समझे।
----	---	---

11	ऋण समझौते का खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	एचएल समझौते में खंड 14.11 (ग्राहक सेवाएं और शिकायत निवारण) का संदर्भ लें और एलएपी समझौते में धारा 14.8 और एमआईटीसी और केएफएस के खंड 24 (शिकायत निवारण) के अनुसार।
12	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी	18001021003 GRO@grihashakti.com
13	क्या ऋण अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण को हस्तांतरित किया गया है या भविष्य में किया जा सकता है (हां/नहीं)	हां
14	सहयोगात्मक ऋण प्रबंधों (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने की स्थिति में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
मूल आरई का नाम, उसके वित्तपोषण अनुपात के साथ		साझेदार आरई का नाम उसके वित्तपोषण के अनुपात के साथ
लागू नहीं		लागू नहीं
ब्याज की मिश्रित दर		लागू नहीं
15	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
(i)	आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान कर्जदार से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	लागू नहीं
(ii)	वसूली एजेंट के रूप में कार्यरत और कर्जदार से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	लागू नहीं

16. ऋण का प्रयोजन/अंतिम उपयोग (कृपया उस प्रयोजन/अंतिम उपयोग पर एकल निशान (✓) लगाएं जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है)

एचएल-बैलेंस ट्रांसफर	☐	एचएल-नई खरीद	☐	एचएल-बिल्डर खरीद	☐
एचएल-पुनर्विक्रय खरीद	☐	एचएल-प्लॉट + निर्माण	☐	एचएल-स्वयं निर्माण	☐
एचएल-गृह सुधार/विस्तार/विस्तार	☐	एलएपी-बैलेंस ट्रांसफर (व्यवसाय)	☐	एलएपी-बैलेंस ट्रांसफर (व्यवसाय) और व्यावसायिक प्रयोजन के लिए टॉप-अप	☐
एलएपी-बैलेंस ट्रांसफर (व्यक्तिगत)	☐	एलएपी-बैलेंस ट्रांसफर (व्यक्तिगत) और व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए टॉप-अप	☐	एलएपी-टॉप-अप या एलएपी-अंतिम उपयोग बिज़नेस उद्देश्य के लिए है	☐
एलएपी-टॉप-अप या एलएपी-अंतिम उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए है	☐	एलएपी-वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद	☐		

17. ऋण के लिए प्रतिभूति/जमानत

ऋण के लिए प्रतिभूति आम तौर पर वित्त पोषित की जा रही संपत्ति और/या किसी अन्य जमानत/अंतरिम प्रतिभूति में, जैसा कि एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा अपेक्षित हो सकता है, प्रतिभूति हित होगी। अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें शामिल हैं:

- क. संपत्ति का विवरण,
- ख. गारंटी: गारंटीकर्ता/ओं का नाम (अगर कोई है):
- ग. अन्य प्रतिभूति हित (अगर कोई है):

18. क) संपत्ति का बीमा

कर्जदार/रों को सलाह दी जाती है कि वे लोन अवधि के दौरान बकाया लोन के बराबर बीमित राशि के लिए अपनी संपत्ति का व्यापक और समग्र बीमा पॉलिसी के साथ बीमा करवाएं। कर्जदार(रों) द्वारा ऐसी पॉलिसी लिए जाने पर, कर्जदार लोन सुविधा जारी रहने के दौरान, एसएमएफजी गृहशक्ति को बीमा पॉलिसी के लिए एकमात्र लाभार्थी बनाने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक रिन्युअल/नई पॉलिसी के 15 दिनों के भीतर बीमा कवर और पॉलिसी की एक प्रति एसएमएफजी गृहशक्ति को भेजेंगे।

ख) कर्जदारों का बीमा

कर्जदार पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत एकमात्र लाभार्थी के रूप में एसएमएफजी गृहशक्ति के साथ अपने लिए स्वास्थ्य और/या जीवन बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

19. ऋण के संवितरण के लिए शर्तें

एसएमएफजी गृहशक्ति ऋणी को गृह ऋण का संवितरण नहीं करेगा जब तक कि गृह ऋण स्वीकृति पत्र और ऋण समझौते में उल्लेखित शर्तें एसएमएफजी गृहशक्ति की संतुष्टि और विवेक के लिए अनुपालित नहीं होती हैं। शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हैं:

- क. ऋण समझौता और इस तरह के अन्य सहायक दस्तावेजों का निष्पादन
- ख. किस्तों के भुगतान के प्रति उत्तर दिनांकित चेक/ईसीएस आदि की प्रस्तुति
- ग. एसएमएफजी गृहशक्ति के पक्ष में प्रतिभूति का निर्माण
- घ. संवितरण का उपयोग संपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण या विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के प्रति होना चाहिए
- ड. सभी तथ्यों का गैर प्रकटीकरण एसएमएफजी गृहशक्ति के उधार देने निर्णयों को प्रभावित कर सकता है
- च. अपने रोजगार/ संपर्क के विवरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन की एसएमएफजी गृहशक्ति को सूचना दे

- छ. लिखित रूप में (एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार) ऋण के संवितरण के लिए अनुरोध करें। हाथ से, मेल द्वारा या एसएमएफजी गृहशक्ति की वेबसाइट के माध्यम से या इस प्रकार के अन्य रूप/ढंग जैसा कि समय - समय पर एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा घोषित किया जा सकता है, से किए जाने पर, ऐसा अनुरोध विधिवत रूप से किया गया माना जाएगा
- ज. सुनिश्चित करें कि ऋणी के पास संपत्ति (प्रतिभूति) पर पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व है और उक्त संपत्ति बिल्कुल भार रहित और किसी भी दायित्व के मुक्त है, चाहे जो भी हो
- झ. सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं पैदा हुई हैं जो ऋणी/ऋणियों के लिए वर्तमान ऋण के ऋण समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना दें
- न. सुनिश्चित करें ऋणी द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋणी करार के मामले में चूक की कोई घटना नहीं हुई है

निम्नलिखित शर्तें अन्य सभी ऋणों (होम इक्विटी ऋण, गैर आवासीय परिसर ऋण और टॉप अप ऋण को छोड़कर) के लिए लागू होंगी जिसमें ऋणी:

- (i) स्वीकृति पत्र में यथा विनिर्दिष्ट, अपनी अंशदान राशि (ऋण की राशि से कम फ्लैट की कुल कीमत) का भुगतान करेगा/करेगी
- (ii) निर्माण में प्रगति/देरी, संपत्ति को हुई किसी भी बड़ी क्षति, कर और सांविधिक लेवी और प्रभार जैसा कि समय-समय पर संपत्ति, आदि के संबंध में लागू हो सकते हैं, के गैर-भुगतान से संबंधित विवरणों सहित नियमित रूप से एसएमएफजी गृहशक्ति को जानकारी प्रदान करेगा/करेगी/करेंगे
- (iii) सुनिश्चित करें कि किया जा रहा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार है और उसे संतुष्ट कर चुका है कि परियोजना के लिए सभी आवश्यक मंजूरी विकासकर्ता (संपत्ति के पुनर्विक्रय खरीद के मामले में विक्रेता द्वारा) द्वारा प्राप्त किया गया है
- (iv) पूर्व में संवितरित किसी भी ऋण राशि की प्राप्ति के उपयोग पर एसएमएफजी गृहशक्ति को संतुष्ट करें और इसके बारे में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराएँ

20. निर्माण की प्रगति

- क) यदि कर्जदार निर्माण/प्लॉट खरीद के लिए लोन राशि के वितरण से 36 (छत्तीस) महीने के भीतर निर्माण पूरा करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी गृहशक्ति
 - i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण लोन को गैर-आवासीय ऋण में परिवर्तित करने;
 - ii) एमआईटीसी और केएफएस में उल्लिखित गैर-आवास ऋण ("एनएचएल ब्याज दर") पर लागू ब्याज दर वसूलें; और/या
 - iii) समय-समय पर अधिसूचित आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे अन्य उपाय करने का अधिकार है

21. ऋण और ब्याज का पुर्नभुगतान

लोन समझौते में उल्लिखित नियत तिथि को निर्दिष्ट ईएमआई /पीईएमआई में ऋण चुकाना अपेक्षित है। ईएमआई/पीईएमआई की चुकौती एसएमएफजी गृहशक्ति के पक्ष में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच)/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम (ईसीएस)/पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) के माध्यम से की जानी अनिवार्य है।

ऋणी को सुनिश्चित करना चाहिए:

- क. डेबिट किए जाने के लिए ऋणी के विनिर्दिष्ट बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
- ख. ऋण की ईएमआई के पुर्नभुगतान के प्रति दिए गए चेकों/लिखतों पर भुगतान निरस्त न करना/न रोकना। इसके अलावा, उस खाते को परिवर्तित या बंद न करना जिस पर पुर्नभुगतान लिखतों को अंकित किया गया है (जब तक कि वह पुर्नभुगतान के लिए एसएमएफजी गृहशक्ति से यथा सहमत वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेता/लेती है)।
- ग. संगत देय तिथि को या से पहले किश्त का भुगतान करना, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो बकाया ऋण राशि और सभी अर्जित ब्याज तुरंत देय बन जाएगी। ऋणी प्रभारों के विवरण में यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- घ. एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा सुझाए गए ऋण के नियमों और शर्तों की अपेक्षा कर्जदार द्वारा ऋण समझौते की शर्तों के तहत सहमत शर्तों में किसी बदलाव की स्थिति में और यदि ऐसे बदलाव कर्जदार के लिए हानिकारक हैं, तो कर्जदार को 60 दिन के भीतर ऋण को किसी अतिरिक्त शुल्क और ब्याज जिसका सहमत ऋण समझौते में उल्लेख नहीं किया गया है, के बिना समयपूर्व बंद करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

कर्जदार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि केवल समय पर चुकौती रिकॉर्ड वाले कर्जदार ही वैध अनुरोध के अधीन दर में कटौती के लिए पात्र होंगे। ऐसे अनुरोध की स्वीकृति एसएमएफजी गृहशक्ति के विवेक पर निर्भर होगी।

22. अतिदेय की वसूली के लिए पालन की जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया

अपचार प्रबंधन पूर्व चेतावनी संकेतों के आधार पर अपचार पूर्व कार्यवाही से शुरू हो जाता है और इसमें विभिन्न विकल्प अर्थात्, डाक, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस के माध्यम से और/या याद दिलाने, अनुवर्ती कार्यवाई करने और बकाया राशि का संग्रहण करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त तृतीय पक्ष के माध्यम से ऋण खाते पर बकाया राशि के भुगतान के लिए, समय-समय पर ऋणी को अनुस्मारक भेजना शामिल है। संग्रह की कार्यप्रणाली में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल है।

- क. **टेलीकॉलिंग:** इसमें ऋणी से फोन पर संपर्क करना और उन्हें चूकी गई देय तिथि के बारे में जागरूक करना और जल्द से जल्द बकाए का भुगतान करने के लिए अनुरोध करना शामिल है।
- ख. **फील्ड कलेक्शन:** इसमें ऋणी से मुलाकात करना और देय राशि का भुगतान प्राप्त करना शामिल है। यह गतिविधि एसएमएफजी गृहशक्ति के कर्मचारियों या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संचालित की जाएगी। भुगतान वैध रसीद जिसे केवल ऋणी को जारी किया जाएगा, के प्रति या तो नकद में या चेक/डीडी के रूप में प्राप्त किया जाएगा।
- ग. एसएमएफजी गृहशक्ति की नीति के अनुसार और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक अपचारी खाते की स्थितियों के आधार पर **कानूनी कार्यवाही** की जाएगी। एसएमएफजी गृहशक्ति, कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत, किसी भी क्रेडिट सूचना कंपनी को, ऐसे अंतराल पर जैसे लागू विनियामक दिशानिर्देश (समय-समय पर संशोधित) के तहत जरूरी हो, कर्जदार की क्रेडिट सूचना सूचित करेगी। सीआईसी में क्रेडिट इतिहास पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए यह जाती है कि ग्राहक को ऋण की राशि पर देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। बंधक/प्रतिभूतियों

के प्रवर्तन की वसूली प्रक्रिया किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कब्जा लेना और बंधक संपत्ति की बिक्री करने, सहित लेकिन यहीं तक सीमित नहीं, का संबंधित कानून के अंतर्गत अतिदेयों की वसूली के लिए कदम उठाने से पहले ग्राहक को सूचना/अनुस्मारक/नोटिस दिया जाता है। इसलिए, एसएमएफजी गृहशक्ति अपचारी खाते के विभिन्न श्रेणियों के लिए उचित और प्रभावी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए टेलीकॉलिंग, क्षेत्र दौरा, लिखित संचार और कानूनी कार्रवाई के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करेगा।

23. ग्राहक सेवा

दस्तावेजों की आवश्यकता सहित किसी भी सेवा से संबंधित समस्या एसएमएफजी गृहशक्ति को निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से संबोधित की जा सकती है:

क. हमारे टोल फ्री नंबर 18001021003 पर संपर्क केंद्र से टेलीफोन पर संपर्क द्वारा;

समय: प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक (सोमवार से शनिवार)*

*सार्वजनिक अवकाश और हर महीने के चौथे शनिवार को छोड़कर

ख. ई-मेल द्वारा: grihashakti@grihashakti.com

ग. एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लि. के यूनिट नं. 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय या कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, क्र. 111, माउंट पूनामल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई-600116, तमिलनाडु स्थित पंजीकृत कार्यालय में ग्राहक सेवा को संबोधित लिखित पत्र के माध्यम से

घ. शारीरिक रूप से सेवा शाखा पर जाकर और मुलाकात के घंटों के दौरान अनुरोध करने के माध्यम से

- शाखा का समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक (सोमवार से शनिवार)*
- भुगतान का समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)*
- सुबह 9:30 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक (शनिवार)*

*सार्वजनिक छुट्टियों और महीने के पहले शनिवार को छोड़कर

सांकेतिक टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) के साथ नीचे दी गई सूची के अनुसार ग्राहक निवेदन करता है:

- i. दस्तावेजों की फोटो प्रतियां - अनुरोध करने की तारीख से 15 कैलेंडर दिवस। आवश्यक प्रशासनिक शुल्क लागू होता है
- ii. मूल दस्तावेज लोन के बंद होने/हस्तांतरण की तारीख से 30 दिवसों के भीतर वापस कर दिए जाएंगे
- iii. लोन अकाउंट स्टेटमेंट निवेदन प्राप्त के 4 कैलेंडर दिनों के अंदर
- iv. निवेदन प्राप्त के 40 कैलेंडर दिनों के अंदर ईएमआई की कटौती
- v. देर से भुगतान शुल्क की वापसी अनुरोध प्राप्त होने के 45 कैलेंडर दिनों के भीतर (एसएमएफजी गृहशक्ति के पूर्ण विवेक पर)
- vi. अन्य सभी प्रकार के सेवा निवेदन - निवेदन करने के दिनांक से 30 कैलेंडर दिन

24. शिकायत निवारण

एसएमएफजी गृहशक्ति का ग्राहक शिकायत सुलझाने का तरीका नीचे दिया गया है, जो एसएमएफजी गृहशक्ति की वेबसाइट <https://www.grihashakti.com/investors/policies/grievance-redressal-mechanism.aspx> पर और एसएमएफजी गृहशक्ति शाखा के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है: एसएमएफजी गृहशक्ति के लिए शिकायत निवारण की प्रक्रिया में 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का समावेश होगा ताकि सुनिश्चित हो कि शिकायतों के साथ सक्षमता, पारदर्शिता और उचित तरीके से बर्ताव किया जा सके। यदि प्रदान की गई सेवाओं से कर्जदार संतुष्ट नहीं है तो कर्जदार किसी भी निम्नलिखित चैनल के माध्यम से किसी शिकायत/असंतोष के लिए एसएमएफजी गृहशक्ति से संपर्क कर सकता है। सभी 3 स्तरों के लिए ग्राहक को पावती/प्रत्युत्तर देने का प्रतिवर्तन समय (टीएटी) 7 दिनों का होगा:

स्तर 1: क. हमारे टोल फ्री नंबर 18001021003 पर संपर्क केंद्र के साथ टेलीफोन पर संचार द्वारा:

समय: प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक (सोमवार से शनिवार)*

*सार्वजनिक अवकाश और हर महीने के चौथे शनिवार को छोड़कर

ख. ई-मेल द्वारा: grihashakti@grihashakti.com

ग. यूनिट नं. 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय या कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, क्र. 111, माउंट पूनामल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई-600116, तमिलनाडु स्थित पंजीकृत कार्यालय में ग्राहक सेवा को संबोधित लिखित पत्र के माध्यम से।

घ. सर्विस शाखा में खुद कस्टमर सर्विस ऑफिसर से मिलकर निम्नलिखित मुलाकात के समय के दौरान उक्त शाखा के पास निवेदन किया जा सकता है:

शाखा का समय: सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे (सोमवार से शनिवार)*;

भुगतान का समय: सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे (सोमवार से शुक्रवार)*; सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे (शनिवार)*

*सार्वजनिक छुट्टियों और महीने के पहले शनिवार को छोड़कर

स्तर 2: यदि प्राप्त समाधान ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ @ CCRC@grihashakti.com पर और/या उपर दिए गए कॉर्पोरेट कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिख सकते हैं।

स्तर 3: (i) यदि ग्राहक अभी भी प्राप्त समाधान से असंतुष्ट है, तो ग्राहक शिकायत निवारण अधिकारी @ GRO@grihashakti.com पर और/या उपर दिए गए कॉर्पोरेट कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिख सकते हैं या जीआरओ को 022-65483456 पर कॉल करें।

(ii) यदि कर्जदार उसे प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है/या एक महीने के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो कर्जदार <https://grids.nhbonline.org.in> लिंक पर ऑनलाइन मोड में अपनी शिकायत दर्ज करके या शिकायत निवारण सेल, विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, 4थी मंजिल, कोर 5ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 पर ऑफलाइन मोड में डाक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण सेल से संपर्क कर सकता है।

(iii) कर्जदार समझता है कि एसएमएफजी गृहशक्ति, ऊपर दी गई सब-क्लॉज (i) के तहत ग्राहक शिकायत सुलझाने का तरीका अपने विवेक से बदलने का हकदार होगा, जिसमें एसएमएफजी गृहशक्ति द्वारा तय किए गए तरीकों जैसे एसएमएस, ईमेल सहित के अलावा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और एसएमएफजी गृहशक्ति शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करके कर्जदार को सूचित करेगा।

एतदद्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए इसके पक्ष अपने द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण और अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों को संदर्भित करेंगे और पर निर्भर होंगे। उपरोक्त नियमों और शर्तों को ऋणी/ऋणियों द्वारा पढ़ लिया गया है/ऋणी/ऋणियों के लिए पढ़ा गया है और ऋणी/ऋणियों द्वारा समझ लिया गया है। कर्जदार यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें उपर्युक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें (एमआईटीसी) तथा मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) दस्तावेज की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त हुई है।

उपरोक्त नियमों और शर्तों की स्वीकृति और इस दस्तावेज की प्रति की प्राप्ति का सत्यापन करने वाला ऋण/ऋणियों का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

.....
ऋणी

.....
सह ऋणी-1

.....
सह ऋणी-2

.....
एसएमएफजी गृहशक्ति के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नोट: एमआईटीसी और केएफएस की डुप्लिकेट प्रति कर्जदार/रों को सौंपी जानी चाहिए।